बिहार लोक सेवा आयोग,
15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना–800001
आवश्यक सूचना–सह–दिशा निदेश

स्वास्थ्य विभाग, बिहार के अंतर्गत आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 05/2015, बेसिक ग्रेड के दंत चिकित्सक के 558 (पाँच सौ अनठावन) पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया पूर्ण कर अंतिम परीक्षाफल प्रकाशित कर सुयोग्य उम्मीदवारों को अनुशंसित किया जा चुका हैं।

आयोग द्वारा प्रकाशित एक अन्य विज्ञापन संख्या 15/2014 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी से सम्बन्धित माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा Civil Appeal No.9482 of 2019 [Arising out of Special Leave Petition (Civil) No. 12245 of 2017], डा॰ (मेजर) मीता सहाय बनाम बिहार राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 17.12.2019 को पारित न्यायादेश को स्वास्थ्य विभाग, बिहार द्वारा अपने पत्रांक 758 (2) दिनांक 13.07.2021 से विज्ञापन संख्या 05/2015, बेसिक ग्रेड के दंत चिकित्सक में भी समान रूप से लागू करने का मंतव्य दिया गया है। एक अन्य विभागीय पत्रांक 1193(2) दिनांक– 22.08.2022 से उक्त न्यायादेश के आलोक में नवचयनित ऐसे उम्मीदवारों के लिए अलग से रिक्ति उपलब्ध कराए जाने संबंधी सूचना संसूचित की गई है।

उक्त न्यायादेश के अनुपालन में विज्ञापन संख्या 05/2015, बेसिक ग्रेड के दंत चिकित्सक के वैसे उम्मीदवार जिनके पास **बिहार राज्य की परिसीमा में अवस्थित केन्द्र सरकार के अस्पतालों, शहरी निकायों/पंचायत राज्य संस्थाओं/अन्य सार्वजनिक प्राधिकार से संचालित Non-Private Hospitals** में कार्य करने संबंधी दिनांक–05.06.2015 तक अनुभव है, उन्हें उक्त न्यायादेश एवं विज्ञापन संख्या 05/2015 की कंडिका– 5 (iii) के आलोक में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत तत्संबंधी अनुभव प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र संख्या, निर्गत तिथि, मोहर सहित) आयोग कार्यालय में जमा करने का अवसर दिया जाता है। अनुभव की गणना विज्ञापन के आवेदन प्राप्ति के अंतिम तिथि 05.06.2015 तक की जायेगी।

उम्मीदवार प्रकाशित सूचना के आलोक में आयोग के बेवसाईट पर उपलब्ध दावा प्रारूप के साथ तत्संबंधी अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करते हुए अपना आपत्ति अभ्यावेदन आयोग के ईमेल– bpscpat-bih@nic.in से इस प्रकार भेजें कि वह **दिनांक–06.12.2022 तक** परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना– 800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए। आवेदक आश्वस्त हो लें कि निर्धारित दावा प्रारूप के साथ संलग्न /अपलोड किये जाने वाले अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति स्पष्ट एवं पठनीय है। प्राप्त दावा के आलोक में न्यायादेश, विज्ञापन में निहित शर्त्तों एवं आयोग द्वारा इस विज्ञापन में पूर्व में लिए गए निर्णयों के आलोक में नियमानुसार अनुभव अंक आवंटित कर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी। निर्धारित तिथि तक विहित दावा प्रारूप के साथ अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न कर नही भेजे जाने की स्थिति में बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा। विहित दावा प्रारूप आयोग के बेवसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रकाशित है।

नोटः– चूंकि पूर्व में बिहार सरकार के अधीन सरकारी अस्पतालों में कार्यरत् दंत चिकित्सकों का अनुभव मान्य करते हुए विभागीय विशेषज्ञ द्वारा अनुभव अंक आवंटित किये जा चूके हैं, अतः बिहार सरकार के अधीन सरकारी अस्पतालों में कार्यरत् दंत चिकित्सकों इत्यादि का पुनः संशोधित अनुभव प्रमाण पत्र उक्तालोक में दावा करने की स्थिति में विचारणीय नहीं होगा।

13.11.22

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना